

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठरीन अधिकारी मनरवी नरेश

वादा संख्या :- 16/2021

1. किशनलाल पिता मोतीलाल जी जाति ब्राम्हण निवासी काटुन्दा तह0 वेगू
 2. प्रकाशचन्द्र पिता मोतीलाल जाति ब्राम्हण निवासी काटुन्दा तह0 वेगू
- वादीगण

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जयपुर
 2. श्रीमान तहरीलदार साहब भूमिधारी जी तहरील कार्यालय वेगू जिला चित्तौडगढ़
- प्रतिवादीगण

उपरिष्ठत :- श्री रात्यनारायण ईनाणी
अधिकवक्ता वादीगण
श्री तहरीलदार वेगू
पैरोकार राज0 सरकार

निर्णय दिनांक :- 17.01.2025


निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा काटुन्दा प.ह. काटुन्दा तहसील वेगू में
वादीगण के स्वामित्व एवं उपयोग उपभोग का एक वाडा नवीन आराजी नम्बर 472 रकवा 13 विस्वा
का स्थित है। उक्त नवीन आराजी नम्बर 472 के पुराने नम्बर 612/2 रकवा 11 विस्वा था। पुरानी
आराजी नम्बर 612/2 रकवा 11 विस्वा भूमि वादीगण के पिता के समय से निरन्त एवं निर्बाध रूप
से कब्जे में चली आ रही होने के कारण मि.नं. 6/68 के निर्णय दिनांक 13.10.1968 को वादीगण
को निरयमन की गई एवं वाद नियमन वादीगण के पिता के नाम से एक नामान्तरण संख्या 261
निर्णय दिनांक 31.05.1971 प्रमाणित किया गया। इस प्रकार पुरानी आराजी संख्या 612/2 रकवा 11
विस्वा एवं इसके नवीन नं. 472 रकवा 13 विस्वा भूमि किरम वाडा का स्वामित्व वादीगण का सिद्ध
है।

यह कि नामान्तरण संख्या 261 निर्णित दिनांक 31.5.1971 के समय भू-प्रबन्ध का
कार्या चल रहा था एवं राजस्व रेकार्ड उस समय भू-प्रबन्ध वालो के पास होने से प.ह. द्वारा की गई
नामान्तरण कार्यवाही का उल्लेख राजस्व रेकार्ड में नहीं हो सका और इस कारण भू-प्रबन्ध के वाद
राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि (वाडा) विलानाम ही दर्ज रही। कानूनन प्रतिवादीगण एवं राजस्व
कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के वाद हम वादीगण के नाम
खातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए थी। चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए प्रतिवादीगण दोनों ही
इसके लिए उत्तरादायी है एवं इस कारण दोनों को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जाकर
यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को चूंकि वे राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, को
दिनांक 19.09.2005 को धारा 80 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत एक पंजीकृत सूचना पत्र भी उक्त आराजी नं.
472 रकवा 13 विस्वा भूमि किरम वाडा को हम वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का हमारे
अधिकवक्ता के माध्यम से दोनो प्रतिवादीगण को दिलाया गया जो दोनो ही प्रतिवादीगण को प्राप्त हो
गया किन्तु फिर भी उक्त वाडे को वादीगण के खाते में दर्ज नहीं किया गया एवं न ही कोई जवाब
दिया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास न्यायालय श्रीमान में वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई
विकल्प नहीं रहा।

यह कि वादीगण नामान्तरण संख्या 261 निर्णय दिनांक 31.05.1971 जो मि.नं. 6/68
निर्णित दिनांक 13.10.1968 के आधार पर खोला गया से पुरानी आराजी नम्बर 612/2 रकवा
11विस्वा किरम वाडा व नवीन आराजी नं. 472 रकवा 13 विस्वा भूमि वाडा पर स्वामित्व एवं कब्जा
वादीगण का होने से अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने एवं इस आशय की घोषणा के अधिकारी है।

यह कि वाद कारण मि.नं. 6/68 के निर्णय दिनांक 13.6.68 व नामान्तरण संख्या 261
निर्णय दिनांक 31.5.1971 व पंजीकृत सूचनापत्र दिनांक 19.09.2005 के प्रतिवादीगण को प्राप्त हो जाने
के वाद भी अब तक वादीगण के नाम दर्ज नहीं किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।
वादवर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय
श्रीमान को प्राप्त है।


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगू (चित्तौडगढ़)

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैं :-
कि मौजा काटुन्दा की पुरानी आराजी नम्बर 612/2 रकबा 11 बिस्वा की नवीन आराजी नं0 472 रकबा 13 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार से वादीगण के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आश्रयि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रदान की जावें।
(ख) कि अधिवक्ता शुल्क व वादव्यय भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें।
(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण को सुलभ हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओरसे तहसीलदार बेगू भूमिधारी पैरोकार सरकार के द्वारा उपस्थिती दी जाकर इस वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार किया गया कि वादीगण ने मौजा काटुन्दा के स्वामित्व एवं उपयोग उपभोग का एक बाडा नवीन आराजी नम्बर 472 रकबा तेरह बिस्वा होना बताया है। वादी स्वयं न्यायालय में सिद्ध करें।

यह कि राजस्व अभिलेख के आधार पर मौजा काटुन्दा के नामान्तरण संख्या 261 से वादीगण के पिता के नाम पर आराजी नम्बर 612/2 रकबा 11 बिस्वा खातेदारी हक से दर्ज हुआ था। यह कि पुरानी आराजी नम्बर 612/2 रकबा ग्यारह बिस्वा वादी के पिता के नाम पर मि0नं0 6/68 निर्णय दिनांक 13.10.68 से नियमन होना इ0नं0 261 से पाय गया। यह कि ग्यारह बिस्वा का तरेह बिस्वा वादी स्वयं न्यायालय में सिद्ध करें। कलम नं0 4 वादीगण स्वयं न्यायालय में सिद्ध करें।

यह कि सेटलमेन्ट की त्रुटी को भूमिधारी सुधार करने हेतु अधिकृत नहीं है। सेटलमेन्ट की त्रुटी सक्षम न्यायालय द्वारा ही सुधारी जा सकती है। कलम संख्या 6 व 7 न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। वाद पत्र की कलम संख्या 8,9 व 10 कानूनी है।

पत्रावली में जवाब दावा प्रतिवादीगण राज0सरकार का प्रस्तुत होने पर निम्नलिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :-

1- आया कि वादी मौजा काटुन्दा की पुरानी आराजी नम्बर 612/2 रकबा 11 बिस्वा की नवीन आराजी नम्बर 472 रकबा 13 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार से वादीगण के नाम कराने की घोषणा कराने का अधिकारी है?
वादीगण


2- आया कि पुरानी आराजी नम्बर 612/2 मौजा काटुन्दा के रकबा 11 बिस्वा वादी के पिता के नाम पर मि0नं0 6/68 निर्णय दिनांक 13.10.68 से नियमन होना व इ0नं0 261 से पाया गया रकबा ग्यारह बिस्वा का तेरह बिस्वा बना जिसे सिद्ध कराने का जिम्मा वादी का है?
प्रतिवादी

3- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु वादी किशनलाल पिता मोती जी व गवाह कैलाशचन्द्र के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादीगण की ओर से वादी किशनलाल द्वारा मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज प्रदर्श कराये गये व जिरह प्रतिवादी पैरोकार द्वारा वादी से की जाकर उनके बयान व गवाह के बयान कलमबद्ध कराये गये। पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए वर्णित भूमि वादीगण के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा कराने का निवेदन किया, जबकि भूमिधारी द्वारा अपने जवाब अनुसार बहस करते हुए वादीगण का वादपत्र भूमि बाडा होने से खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस दावा पत्रावली में तनकी अनुसार इस दावे का निर्णय इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2006 को करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किया गया था, जिसकी प्रथम अपील वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में की गई थी, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 16.06.2008 से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगू के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2006 यथावत रखे जाने का निर्णय दिया।


राजस्व अपील
(अ. नं. 1/2006)
बेगू (चितौडगढ)

द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील माननीय मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में की गई जहाँ पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 15.10.2020 से निर्णय इस प्रकार दिया गया " परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2008 एवं उपखण्ड अधिकारी बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय के पैरा -7 में किये गये विवेचन अनुसार सम्यक परीक्षण उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगू को प्रतिप्रेषित किया जाता है।"


इस प्रकार यह दावा पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा किये गये निर्णय की पालना में इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गई तथा प्रकरण में दोनों ही पक्षों को समुचित अवसर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने बाबत दिये गये दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा पूर्व की ही साक्ष्य को माने जाने का निवेदन किया जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। इस दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की ओर से एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को दावा पत्र के अनुसार ही करते हुए कहा कि वादवर्णित भूमि सेटलमेंट से ही बिलानाम दर्ज हुई। इस भूमि का पहले नामान्तरण भी खोला गया था। जिसका इन्तकाल नम्बर 261 है जो वादीगण के पिता मोतीलाल पुत्र नाथूलाल ब्राम्हण के नाम पर खोला गया था। वर्णित भूमि पर कब्जा हमारा ही रहा है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज एवं वादीगण द्वारा पत्रावली में कराये गये बयानों का गहन अवलोकन किया एवं उन पर मनन भी किया गया। पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- तनकी नम्बर 1 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उनमें प्रदर्श- 1 नकल नामान्तरण संख्या 261 है जो बिलानाम भूमि आराजी संख्या 612/2 रकबा 10बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 11 बिस्वा भूमि श्री मोतीलाल पिता नाथूलाल ब्राम्हण को मौजा काटून्दा की नाजायज कब्जे होने से खातेदारी हक से दर्ज किये जाने का अंकन किया गया है। नामान्तरण में टिप्पणी अंकित की गई है कि मी.नं. 6/68 दिनांक 13.01.1968 से भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ। इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रदर्श- 2 नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा प०ह० काटून्दा की सन्वत् 2060 से 63 में भूमि के नवीन आराजी संख्या 472 होकर रकबा 11 बिस्वा भूमि किस्म बाडा के रूप में दर्ज की गई है। नक्शाट्रेस प्रदर्श- 3 है। नकल खसरा गिरदावरी सन्वत् 2060 से 63 मौजा काटून्दा में भी आराजी संख्या 472 रकबा 11 बिस्वा भूमि को बाडा अंकित किया जाकर भूमि 13 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज की गई है। इसी प्रकार प्रदर्श- 4 नकल खसरा गिरदावरी सन्वत् 2025 से 28 में भी आराजी संख्या 612/2 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि को बिलानाम अंकित किया हुआ दर्शाया गया तथा ई.नं. 262/2 रकबा 11 बिस्वा का नोट अंकित किया है। प्रदर्श- 5 नकल भू-सेटलमेंट विभाग का मिलान आराजी व नम्बरान का रिकॉर्ड है जो कि मौजा काटून्दा का सन्वत् 2022 का होकर वाद वर्णित आराजी संख्या 612मी के नये आराजी नम्बर 472 होना पाया गया जिसमें नये आराजी नम्बरान में रकबा 13 बिस्वा भूमि बाडा दर्ज की गई है तथा कॉलम संख्या 23 व 24 में बिलानाम होकर नाजायज कब्जा का अंकन किया है तथा टिप्पणी में मोतीलाल का नाम दर्ज है। इस प्रकार इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण के पिता मोतीलाल को जो भूमि का नियमन होकर उनके खातेदारी हक से दर्ज की गई थी वह 11 बिस्वा भूमि वाके मौजा काटून्दा की होकर एक बाडा थी। इस प्रकार बाडे की भूमि को नियमन किया जाकर वादीगण के पिता के पक्ष में जो नामान्तरण खातेदारी हक से खोला गया वह नियमानुसार गलत खोला गया है। जैसा की विदित है राजस्व नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 जो बनाया गया है वह भूमिहीन काश्तकारों को कृषि हेतु भूमि दिये जाने का बनाया गया है जिसमें भी भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन नियम के तहत आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की जाती है तथा उसका भी नामान्तरण गैरखातेदारी हक से ही खोला जाता है ना की खातेदारी हक से इन्तकाल खोला जाता है।


सहायक कमिश्नर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

एक 11 बिस्वा भूमि जो कि एक बाड़ा है उसका नामान्तरण संख्या 281 जो खोला गया है यह बाड़ी से खोला गया है जो कि नियम विरुद्ध है। क्या कि वादवर्णित भूमि जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं होकर एक बाड़ा थी जिसका नियमन/आवंटन नहीं किया जाता है। बाड़ा भूमि का अस्थाई रूप से पट्टा शर्ती पर दिया जाता है। इसी कारण इस भूमि को आवंटनी मोतीलाल के पक्ष में राजस्व रिपोर्ट जमावन्दी में दर्ज नहीं किया गया तथा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया था। प्रदर्श-4 नकल भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग में भी मत आराजी संख्या 812मी में रकबा 13 बिस्वा व नवीन आराजी नम्बर 472 में भी रकबा 13 बिस्वा दर्ज किया हुआ है। वादीगण ने अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका आवंटित भूमि 11 बिस्वा से 13 बिस्वा किस प्रकार से की गई है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 15.10.2020 में दिये गये निर्देश कि प्रकरण निर्णय के पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन अनुसार सम्यक परीक्षण उपरान्त निर्णय पारित किया जावे। इस पर हमारे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेज का तथा गवाह का अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण के पिता को यह भूमि नियम से प्राप्त हुई जो नियमन की गिराल नम्बर 6/68 दिनांक 13.10.1968 से नियमन की गई है, जहाँ तक यह भूमि बिलानाम होकर वादीगण के पिता के कब्जे में चली आ रही थी यह तथ्य इस दावा पत्रावली में स्पष्ट नहीं होता है इसके लिए नियमन पत्रावली की प्रमाणित प्रति या उसमें किये गये निर्णय की प्रति होती तो उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते थे कि जो नियमन किया गया है वह सही या नहीं। वैसे भी हमारे द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू के तहत आवंटन/नियमन के सम्बन्ध में तनकी में उल्लेख किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि वादीगण के पिता द्वारा वर्णित भूमि का अतिक्रमण यदि वर्ष 1970 से पूर्व या पहले भी किया गया हो तो उनसे नियमानुसार 25 पैरो प्रति वर्ग गज से प्रिमियम वसूल नहीं की गई है यदि की गई होती तो वादीगण को उसका दरतावेज या रसीद प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस प्रकार वादीगण तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असाफल रहे हैं। सभी दरतावेज के आधार पर किये गये निर्णयानुसार तनकी नम्बर 1 विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

2- तनकी नम्बर 2 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण का है। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जैसा कि तनकी नं0 1 में निर्णय किया गया है कि वादीगण यह सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि उनके पिता को 11 बिस्वा भूमि से रकबा 13 बिस्वा किस प्रकार बन गया है। ना ही दरतावेजी साक्ष्य सवृत के आधार पर वादीगण अपने जिम्मे की तनकी नम्बर 1 को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं। इस प्रकार यह तनकी स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

इस प्रकार इस दावा पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 व तनकी नं02 वादीगण के विरुद्ध दरतावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुई है, जिससे वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वैगू

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठरीन अधिकारी मनरवी नरेश

दावा संख्या - 16/2021

1. किशनलाल पिता मोतीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी काटुन्दा तह0 बेगू
2. प्रकाशचन्द्र पिता मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी काटुन्दा तह0 बेगू
वादीगण

बनाम


1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जयपुर
2. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगू जिला चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिति तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री तहसीलदार बेगू की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 17.01.2025 को पीठरीन अधिकारी मनरवी नरेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। दावा

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 17.01.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


(मनरवी नरेश)
सहायक कलेक्टर (पीठरीन)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू